215 (5) वेतन एवं महंगाई भत्ते निर्धारण के लिए वैयक्ति वेतन का निरूपण

अधोहस्ताक्षरी को बोई स्तर के कार्यवालकों एवं बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालकों तथा असंबद्ध पर्यवेक्षकों के 1.1.1992 से वेतनमान संशोधन से संबंधित 19 जुलाई, 1995 के दो समसंख्याक कार्यालय ज्ञापन लोक उद्यम विभाग को उल्लेख करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इन कार्यालय ज्ञापनों में संशोधित वेतनमान निर्धारण के तरीके का भी संकेत किया गया है।

2. कुछ सरकारी उद्यमों द्वारा इस प्रकार का स्पष्टीकरण सामने लाया गया है कि क्या कुछ कार्यपालकें को दिया गया ''वैयक्तिक वेतन'' उन संशोधित वेतनमान को निर्धारित करते समय महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के परिकलन के प्रयोजनार्थ जोड़ा जाएगा। सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया यगा है कि अनुबंध के अनुसार अधिकतम वेतनमान के नीचे तीन चरणों में वेतन निर्धारण के पश्चात् प्रदान किया गया वैयक्तिक वेतन निष्प्रभवन के प्रतिशत के आधार पर महंगाई भत्ते के परिकलन के प्रयोजनार्थ ''वेतन'' के रूप में जोड़ा जाएगा।

3. ''वैयक्तिक वेतन को कंपनी के पट्टायुक्त आवास में रह रहे कार्यपालकों के मामले में लाइसेंस शुल्क की वसूली के प्रयोजनार्थ भी जोड़ा जाएगा।

4. कृपया उपर्युक्त निणर्यय प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत उद्यमों के ध्यान में लाया जाएगा।

अनुबंध

1.	वर्तमान वेतनमान	6500—175—7725 / — रूपए
2.	प्रस्तावित वेतनमान	8500—300—10300 / — रूपए
3.	वर्तमान मूल वेतन	7725.00 / — रूपए
4.	एआइसीसीआई से संबंधित दिनांक 1.1.1992 को आईडीए	787.75 / — रूपए
5.	मूल वेतन के 20% की दर से फिटमेंट	1545.00 / — रूपए
		10057.75 / — रूपए
7.	सामान्य नियमों के अंतर्गत नियत किया जाने वाला वेतन	10300.00 / — रूपए
8.	संशोधित वतनमान का अधिकतम	10300.00 / — रूपए
	अधिकतम के नीचे 3 वेतन वृद्वियों के बराबर कम धनराशि	900 / — रूपए
9.	वेतन निर्धारित किया जाएगा	9400 / — रूपए
10.	दिनांक 1.1.1992 को देय कुल परिलब्धियां	10,057.75 / — रूपए
11.	उपर्युक्त 1.9.1992 के अनुसार निर्धारित कम वेतनमान	9400.00 / — रूपए
12.	दिनांक 1.1.1992 को वेतन निर्धारण के समय स्वीकत्रत वैयक्तिक वेतन	657.75 / — रूपए

(तारीख 6 फरवरी, 1996 के का.ज्ञा.सं.—2(50)/86—लो.उ.वि.(डब्ल्यू.सी.)